# न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 151/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 19.10.2020
किस्म अपीलः धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

**उनवान**

रामचन्द्र आत्मज स्व0 भूरा जी जाति मीना निवासी ग्राम दबलाना उप तहसील दबलाना तहसील हिण्डोली जिला बूंदी।

..... अपीलार्थी

**बनाम**

दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक–रेस्पोडेन्ट

**:: निर्णय ::**

दिनांक 22.3.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 101/प्रा0/2000 अन्तर्गत नियम 17(ए) मध्यम एंव लघु परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली बनाम रामचन्द्र आ0 भूरा मीणा दबलाना मे पारित निर्णय दिनांक 14.7.2005 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसीलदार हिण्डोली ने अन्तर्गत नियम 17(ए) मध्यम एंव लघु परियोजना क्षेत्र मे सरकारी भूमि आवंटन नियम 1968 के अन्तर्गत रामचन्द्र आ0 भूरा मीणा को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 516, 517 रकबा 5 बीधा 6 बिस्वा ग्राम दबलाना दिनांक 4.5.62 पर आवंटी का कब्जा काश्त नही होने से निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 14.7.2005 से निरस्त कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट रामचन्द्र द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण मे पैरवी हेतु वकील नियुक्त गया था किन्तु अपीलांट के वकील अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुये ना ही अपीलार्थी को तारीख पेशी की अपीलांट के पक्ष मे भूमि का सही रूप से नियमानुसार आवंटन किया गया था। अपीलांट ने आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की थी। अपीलांट उपरोक्त भूमि पर काबिज है। गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक हो गया था। अपीलांट ने आवंटन शर्तो का उल्लधंन नही किया है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन शर्तो का उल्लधंन

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मानते हुये हुक्म जेरअपील पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट के जिम्मे कीमतन आवंटन की कोई राशि बकाया नही है। विकल्प मे यह भी निवेदन है कि अपीलांट के जिम्में यदि कोई राशि बकाया होना माना जावे तो भी अपीलांट उक्त बकाया राशि मय ब्याज व पैनेल्टी के जमा कराने को तैयार है। यहा यह उल्लेखनीय है कि कीमतन बैचान की राशि बकाया होने की सूरत मे इस आधार पर कानूनन आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश सर्वथा अवैध, त्रुटिपूर्ण, अधिकार विहिन एवं मनमाना होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अपीलांट ने उक्त वर्णित भूमि को किसी भी व्यक्ति को न तो बेचान किया है और न ही कब्जा संभलाया है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि का बेचान किया जाना मानते हुये आवंटन निरस्त करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्त जेरअपील अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया है। हुक्म जेरअपील की जानकारी दिनांक 11.1.2017 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर होने पर आदेश की नकल प्राप्त कर जेरअपील पेश की है अतः सर्वप्रथम जानकारी की तारीख से हुक्म जेरअपील की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने दिन मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की है। अपील स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जावे तथा उपरोक्त भूमि का आवंटन यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील, दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

4 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया था। अपीलांट ने आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की थी। अपीलांट उपरोक्त भूमि पर काबिज है। गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी अपीलांट के पक्ष मे तस्दीक हो गया था। अपीलांट ने आवंटन शर्तो का उल्लधंन नही किया है। अपीलांट के जिम्मे कीमतन आवंटन की कोई राशि बकाया नही है। विकल्प मे यह भी निवेदन है कि अपीलांट के जिम्में यदि कोई राशि बकाया होना माना जावे तो भी अपीलांट उक्त बकाया राशि मय ब्याज व पैनेल्टी के जमा कराने को तैयार है। अपीलांट द्वारा भूमि का किसी को विक्रय नही किया है। बहस मे आगे बताया कि कीमतन बैचान की राशि बकाया होने की सूरत मे इस आधार पर कानूनन आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशि त्रुटिपूर्ण, अवैधानिक होने से निरस्त करने का अनुरोध किया।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे जाहिर किया कि आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नही है। अपीलार्थी ने भूमि की कीमत, ब्याज एवं पट्टा फीस जमा नही करवाई है तथा भूमि का बैचान कर दिया है जिससे आवंटन शर्तो का उल्लधंन होने से अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि का आवंटन जेरअपील आदेश से निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पेश कर वर्णित किया कि जेरअपील एक पक्षीय पारित निर्णय की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा बताने

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पर दिनांक 11.1.2017 को होना वर्णित करते हुये डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं उक्त आशय का स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक ने शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के संबध मे कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया ना ही खण्डन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है अतः शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

7. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया तथा बहस उभय पक्षकार पर मनन किया। अपीलांट को दिनांक 4.5.62 को लीज पर खसरा नम्बर 516 रकबा 1 बीघा ख0 नं0 517 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा कुल 5 बीघा 6 बिस्वा ग्राम दबलाना आवंटित की गई थी उक्त भूमि पर अपीलार्थी लीजदार अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय दिनांक 14.7.05 से उक्त भूमि का आवंटन इस आधार पर निरस्त किया है कि अपीलांट ने इस भूमि का बेचान कल्याण आ0 शंकर मीना दबलाना को कर दिया है अपीलार्थी लीजदार होने से उसके द्वारा किया गया भूमि का विक्रय नियम विरूद्ध है। अपीलार्थी ने भूमि की कीमत व ब्याज राशि भी जमा नही करवाई है भूमि विक्रय कर दिये जाने से अपीलार्थी का भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है जिससे आवंटन शर्तो की अवहेलना हुई है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि उसके द्वारा भूमि का बेचान नही किया गया है उक्त भूमि का गेर खातेदारी का नामान्तरकरण भी उसके पक्ष मे तस्दीक हो गया था। अपीलांट की ओर भूमि की कीमत व ब्याज राशि बकाया नही है विकल्प मे यदि कोई राशि/पेनेल्टी बकाया भी है तो वह जमा कराने को तैयार है। कीमतन बैचान की राशि बकाया होने की सूरत मे इस आधार पर कानूनन आवंटन निरस्त नही किया जा सकता। इसके विपरीत प्रकरण मे रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान कर दिये जाने उसका भूमि पर कब्जा काश्त नही होने से आवंटन शर्तो की अवहेलना होने से आवंटन निरस्त किया है। उभय पक्षकारान के उपरोक्त तर्को पर मनन करने उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि ग्राम दबलाना की भूमि ख0 सं0 516, 517 रकबा 5 बीधा 6 बिस्वा भूमि अपीलांट को दिनांक 4.5.62 को आवंटित हुई है। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा उक्त वर्णित आवंटन शर्तो की अवहेलना होना वर्णित करते हुये आवंटी का आवंटन निरस्त कराने हेतु कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय मे 21.6.2000 को लगभग 38 वर्ष बाद प्रेषित की गई। उक्त कार्यवाही मे भूमि की कीमत, ब्याज, पट्टा फीस जमा नही होना वर्णित किया है किन्तु यह स्पष्ट वर्णित नही किया कि उक्त राशि अपीलांट के विरूद्ध कितनी बकाया है तथा राशि वसूली हेतु क्या–क्या कार्यवाही की गई है । अतः उक्त तथ्यों के अभाव मे भूमि की कीमत, ब्याज, पट्टा फीस बकाया होने से आवंटन को निरस्त किया जाना उचित नही ठहराया जा सकता। तहसीलदार हिण्डोली ने उक्त कार्यवाही मे आवंटी द्वारा भूमि अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिये जाने से भूमि पर एलोटी का कब्जा काश्त नही होने से आवंटन शर्तो का उल्लधंन होना वर्णित करते हुये उक्त कार्यवाही मे भूमि के बेचान के संबध मे फोटो प्रति इकरारनामा संलग्न किया है जो विधिक तौर मान्य व असल दस्तावेज नही होने से साक्ष्य मे ग्राहय नही है। यहां यह तथ्य भी विवेचनीय है कि तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही आवंटी द्वारा उक्त वर्णित आवंटन शर्तो का उल्लघंन करने से आवंटन निरस्त कराने हेतु लगभग 38 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की है जिसका कोई न्यायोचित आधार भी स्पष्ट वर्णित नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

किये बिना अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाकर जेरअपील निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया है जिससे प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे जहां प्रकरण मे उपरोक्त वर्णित सारवान व कानूनी तथ्य निहित हो वहां दूसरे पक्षकार को सुने बिना तकनिकी आधार पर आदेश पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। इस संबध मे विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रश्नगत प्रकरण मे प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरएलडब्लू 2005(1) पेज 131, डीएनजे 2020 (1) पेज 265 चस्पा होते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 14.7.05 को न्यायोचित नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 14.7.05 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये निर्णय मे विवेचित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

9 निर्णय आज दिनांक 22.3..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया/टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( कैलाश चन्द मीना )
संभागीय आयुक्त
कोटा